



# Punjab Government Gazette

## EXTRAORDINARY

*Published by Authority*

---

CHANDIGARH, SATURDAY, APRIL 22, 2023 (VAISAKHA 2, 1945 SAKA)

---

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001.

No. 576/EXIT/2023/SDR/Vol.I

Dated: 21<sup>st</sup> April, 2023

### NOTIFICATION

Whereas, the schedules for the **General Election to the Legislative Assembly of Karnataka** has been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/24/2023 dated 29<sup>th</sup> March, 2023 and Bye Elections to the 04-Jalandhar (SC) Parliamentary Constituency in Punjab, 07-Jharsuguda Assembly Constituency of Odisha, 395-Chhanbey (SC) & 34-Suar Assembly Constituencies of Uttar Pradesh and 23-Sohiong (ST) Assembly Constituency of Meghalaya have been announced by the Press Note No. ECI/PN/25/2023 dated 29<sup>th</sup> March, 2023.

2. Whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that “(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely: —

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

(b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.”

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 6.30 P.M. on 10-05-2023(Wednesday), as the period during which conducting and publishing or publicizing exit poll by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid General Election and bye elections, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll in connection with the aforesaid General and bye elections.

By order,



(S.B. JOSHI)

PRINCIPAL SECRETARY

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.576/एक्जिट/2023/एसडीआर/खण्ड-I

दिनांक: 21 अप्रैल, 2023

### अधिसूचना

यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2023 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./24/2023 के तहत घोषित कर्नाटक विधानसभा के साधारण निर्वाचन और प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./25/2023 दिनांक 29 मार्च, 2023 के तहत घोषित पंजाब में 04-जालंधर (अ0जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 07-झारसुगुडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 395-छानबे (अ0जा0) और 34-मुआर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और मेघालय के 23-सोहिआंग (अ0ज0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चल रहे उप निर्वाचनों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है।

2. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126कमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि " (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात् :-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी:



परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 10 मई, 2023 (बुधवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित साधारण निर्वाचन और उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण और उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,



(एस.बी.जोशी)

प्रधान सचिव